न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –पिंकी आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 03/45A जीसीएमएस संख्या:–2025/205 दर्ज तिथि:–23.07.2024

मोतीलाल पुत्र रामजीलाल
उर्मिला पुत्री रामजीलाल
. तोफली देवी पत्नी रामजीलाल
). राजन्ती देवी पुत्री रामजीलाल
5. लाली देवी पुत्री रामजीलाल
समस्त जातियान जोगी निवासीयान गुवाडा सीरा तहसील प्रतापगढ जिला अलवर राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ जिला अलवर राज0

..... अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्तागण
प्रार्थी अधिवक्ता:– श्री गोपाल शर्मा।
अप्रार्थी:–पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:–19.05.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा नम्बर 223/198 रकबा 1.01 है0 वाकै ग्राम गुवाडा सीरा पटवार हल्का गुवाडाहार तहसील प्रतापगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

सालिम आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार प्रतापगढ के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 26.06.2024 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। पुष्टि में दिनांक 26.06.2024 रिपोर्ट पैमाइश संलग्न है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 26.06.2024 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया। शपथ–पत्र पेश है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार प्रतापगढ को पत्र क्रमांक कोर्ट / 2024 / 366 दिनांक 12.09.2024 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार प्रतापगढ द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार पत्रांक भू0अ0 / 2024 / 1136 दिनांक 19.09.2024 को प्रेषित किया।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.*** *— (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has*

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111 :*
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी 2074–77 वाकै ग्राम गुवाडा सीरा पटवार हल्का गुवाडा हार में राजस्व इन्द्राज एवं सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम गुवाडा सीरा पटवार हल्का गुवाडा हार के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 26.06.2024 एवं तहसीलदार प्रतापगढ से प्राप्त रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार प्रतापगढ के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा हाल आराजी खसरा संख्या 223 / 198 का मुताबिक नक्शा शीट के पैमाने के अनुसार जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया। आराजी खसरा 108 व 192 को मुस्तकिल बिन्दु मानकर उक्त आराजी की पैमाईश की गई। मौके पर पैमाईश कर सीमा चिह्न बताकर सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित लोगों

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

के हस्ताक्षर करवाये जाकर प्रार्थी को संतुष्ट किया गया। इस प्रकार प्रार्थी की अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी 223/198 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम गुवाडा सीरा पटवार गुवाडा हार तहसील प्रतापगढ जिला अलवर पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार प्रतापगढ को दिये जाते हैं। यदि दीगर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रतिपालनार्थ हेतु तहसीलदार प्रतापगढ को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 19.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(पिंकी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

सत्यमेव जयते